



कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006

File No. 18/CEO/SVEEP/VS Question/2019/ १२३०

Dated - २३/२/२०१९

सेवा में

चुनाव मंत्री के सचिव,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
नई दिल्ली

विषय:- दिनांक 27.02.2019 को सदन की बैठक हेतु प्रश्न संख्या 36, श्री सोमनाथ भारती, द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर।

महोदय/महोदया

कृपया आपके कार्यालय पत्र संख्या No. F/MOFSEFE/2019/562 दिनांक 19.02.2019 के सन्दर्भ में इस कार्यालय से सम्बन्धित उपरोक्त प्रश्न का उत्तर उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैं।

भवदीय
चरनजीत सिंह

(चरनजीत सिंह)
चुनाव अधिकारी




कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन
कश्मीरी गेट दिल्ली-110006

तारांकित प्रश्न संख्या - 36
दिनांक - 27/02/2019
प्रश्नकर्ता का नाम - श्री सोमनाथ भारती

प्रश्न	उत्तर
(क) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या और मतदाताओं की संख्या कितनी है;	मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 185645 है एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता की संख्या 142883 है।
(ख) क्या वह जनसंख्या और मतदाताओं के बीच आदर्श अनुपात है;	इस प्रकार की कोई सूचना हमारे कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
(ग) इस विधान सभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों और बूथ लेवल एजेंटों संबंधी सम्पर्क विवरण दीजिए;	अपेक्षित जानकारी हमारी ऑफिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
(घ) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र की अद्यतन बूथवार मतदाता सूची उपलब्ध कराइये;	अपेक्षित जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:- https://ceodelhi.gov.in/ConstituencyDetailENG1.aspx?num=zPW0In0+Jh4Eh1A0VSBaDw==&ii=e
(ङ) नया मतदाता पत्र प्राप्त करने और मतदाता पत्र के विवरण में शुद्धियां कराने की मानक संचालन प्रक्रिया क्या है;	अपेक्षित जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:- https://eci.gov.in/faqs/voter-electors/resident-electors/faqs-resident-electors-r11/
(च) जिन मामलों में मकान मालिक आवास का प्रमाण देने में आवेदकों की मदद नहीं करते हैं, उन मामलों में उनके लिए, नया मतदाता पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया/पद्धति क्या है;	अपेक्षित जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:- https://eci.gov.in/faqs/voter-electors/resident-electors/faqs-resident-electors-r11/
(छ) जिन मामलों में आवेदकों के पास जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, उन मामलों में नया मतदाता पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है;	अपेक्षित जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:- https://eci.gov.in/faqs/voter-electors/resident-electors/faqs-resident-electors-r11/
(ज) मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यस्क नागरिक को उसका मतदाता पत्र प्राप्त हो, ताकि वह लोक सभा चुनाव, 2019 में अपना मत डाल सके इसे सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;	जून 2018 के महीने में अपंजीकृत नागरिकों और भावी निर्वाचक जो 01.01.2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, कि पहचान करने और उनको पंजीकृत करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया था इस उपलक्ष्य में दिल्ली के स्कूलों, कॉलेजों अथवा अन्य शिक्षण संस्थाओं में कैम्प भी लगाये गये थे। निर्वाचक नामावली में सभी अपंजीकृत नागरिकों को नामांकित करने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी जिलों में 23.02.2019 और 24.02.2019 पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। SVEEP गतिविधियों द्वारा मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा की जाती है कि वे NVSP पोर्टल www.nvsp.in या 7738299899 पर एसएमएस के माध्यम से या मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर अपने नामावली में नाम दर्ज करने हेतु नाम की जांच करें और यदि

	<p>नहीं मिला तो निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने हेतु NVSP पोर्टल पर या तो ऑनलाइन फॉर्म-6 या मतदाता केंद्रों पर फॉर्म-6 आवेदन करें। इसके अलावा उन्हें चुनाव के समय मतदान के लिए भी प्रेरित किया जाता है।</p>
<p>(झ) वैध मतदाता पत्र रखने वाले सभी मतदाता वास्तव में अपना मत डाल सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और</p>	<p>SVEEP गतिविधियों द्वारा मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा की जाती है कि वे NVSP पोर्टल www.nvsp.in या 7738299899 पर एसएमएस या मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर उनके नाम की जांच करें और यदि नहीं मिला तो निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने हेतु NVSP पोर्टल पर या तो ऑनलाइन फॉर्म-6 या मतदाता केंद्रों पर फॉर्म-6 में आवेदन करें। इसके अलावा उन्हें चुनाव के समय मतदान के लिए भी प्रेरित किया जाता है।</p>
<p>(त) इन सभी जागरूकता अभियानों की जानकारी दीजिए और इन अभियानों में राजनीतिक रूप से चुने हुए जन प्रतिनिधियों की भागीदारी कैसे हो?</p>	<p>राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर बूथ लेवल एजेंट (BLA-II) की तैनाती सुनिश्चित करें और अपने संबंधित क्षेत्र में सभी बचे हुए पात्र मतदाताओं का नामांकन करने के लिए BLO के साथ मिलकर काम करें।</p>



(चरनजीत सिंह)
चुनाव अधिकारी